Website Link: prgi.gov.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252531
CG-DL-E-01032024-252531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सा.का.नि. 151(अ).—प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 का प्रारूप भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 73 (अ), 5 जनवरी, 2024 द्वारा प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए इन प्रारूप नियमों पर पणधारियों और जनसाधारण से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की अवधि के अवसान से पूर्व टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 जनवरी, 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनसाधारण और पणधारियों से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई टिप्पणियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 है।

(2) ये इनके राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023(2023 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) "भारत कोष" से सरकार के खाते में कोई फीस या जुर्माना या अन्य धन निक्षिप्त करने के लिए भारत सरकार की आनलाइन सेवा खिड़की अभिप्रेत है;

(ग) "केंद्रीय संचार ब्यूरो" से विभिन्न संचार यानों का जिसके अंतर्गत श्रव्य-दृश्य, मुद्रित, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल, प्रदर्शनी और बाहरी क्रियाकलाप भी है, प्रयोग करते हुए विज्ञापन और आउटरीच क्रियाकलापों के माध्यम से सरकारी नीतियों पर सूचनाओं के प्रसार के लिए केंद्रीय सरकार का संलग्न कार्यालय अभिप्रेत है;

(घ) "इकाई" से अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला प्रत्येक वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली" से किन्हीं व्यक्तियों को विभिन्न अनुमोदनों, अनुज्ञाओं और रजिस्ट्रीकरणों की पहचान करने और आवेदन करने में मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय सरकार का डिजिटल प्लेटफार्म (https://www.nsws.gov.in) अभिप्रेत है;

(छ) "पत्र सूचना कार्यालय" से विभिन्न हस्तक्षेपों और क्रियाकलापों जिसके अंतर्गत प्रेस निर्गम, प्रेस नोट, देखे गए कथालेख, पृष्ठभूमियां, प्रेस ब्रीफ, साक्षातकार, पत्रकार सम्मेलन और प्रेस दौरे भी हैं, के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने के लिए केंद्रीय सरकार का संलग्न कार्यालय अभिप्रेत है;

(ज) "प्रेस सेवा पोर्टल" से विभिन्न आवेदन, सूचनाएं और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, प्राप्त करने के लिए प्रेस महारजिस्ट्रार का आनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) नियतकालिक पत्रिका के मुद्रक द्वारा सूचना;

(ii)विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुलिपि संस्करण का रजिस्ट्रीकरण;

(iii) प्रकाशक द्वारा नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन;

(iv) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के पुनरीक्षण के लिए आवेदन;

(v) रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र के स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन;

(vi) नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना;

(vii) शीर्षक आबंटन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(viii) नियतकालिक पत्रिका के परिचालन के सत्यापन के लिए डेक्स संपरीक्षा की प्रक्रिया ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है ।

3. मुद्रक द्वारा सूचना.- (1) नियतकालिक पत्रिका का मुद्रक नियतकालिक पत्रिका के लिए मुद्रण प्रेस प्रारंभ करने के तीस दिवस के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रेस महारजिस्ट्रार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर मुद्रण प्रेस अवस्थित है, उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों और दस्तावेजों के साथ सूचना भेजेगा ।

(2) जहां, उपनियम (1) के अधीन सूचना भेजने के पश्चात् सूचना में उल्लिखित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हो जाता है, मुद्रक विशिष्टियों में ऐसे परिवर्तन प्रेस महारजिस्ट्रार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(3) जहां विशिष्टियों में परिवर्तन में अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थानीय अधिकारिता के अधीन आने वाली मुद्रण प्रेस की अवस्थिति में परिवर्तन अंतर्वलित है, मुद्रक प्रेस महारजिस्ट्रार और नये विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेस सेवा पोर्टल पर नई सूचना भेजेगा और मूल विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भी सूचना देगा ।

4. विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुलिपि संस्करण का रजिस्ट्रीकरण.- (1) कोई इकाई, जो भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन का आशय रखती है, केंद्रीय सरकार से ऐसे प्रकाशन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की पोर्टल पर उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों, दस्तावेजों और फीस के साथ,उस प्रणाली पर उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आवेदन करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी अतिरिक्त सूचना, जो वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात्, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार उपयुक्त समझे, इकाई को अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन का अनुमोदन प्रदान करेगी और इकाई को उसकी सूचना राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर देगी ।

(3) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है, वह खारिज किए जाने के कारणों के साथ अपना विनिश्चय लिखित आदेश द्वारा सूचित करेगी और इकाई को उसकी सूचना राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर देगी ।

(4) इकाई, उपनियम (2) के अधीन अनुमोदन प्रदान किए जाने के पन्द्रह दिवस के भीतर,भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिका के अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए ऐसे दस्तावेज, जो प्रेस सेवा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और भारत कोष में दस हजार रुपए की उसमें विनिर्दिष्ट संदाय की किसी रीति के माध्यम से संदेय फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रेस महारजिस्ट्रार को आवेदन करेगी ।

(5) प्रेस महारजिस्ट्रार, आवेदन का सत्यापन करेगा और इकाई से प्राप्त आवेदन और अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, की सत्यता का स्वयं समाधान करने के पश्चात् या केंद्रीय सरकार की टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, इकाई को भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिका के अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) कोई इकाई, उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के पश्चात् ही भारत में अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन प्रारंभ करेगी और यदि इकाई ने प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से पहले अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है, तो प्रेस महारजिस्ट्रार ऐसी इकाई को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार को ऐसे प्रकाशन की सूचना दे सकेगा ।

(7) केंद्रीय सरकार, स्वयं या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले भारत में अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन के संबंध में प्रेस महारजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर, ऐसी इकाई को उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकेगी ।

5. नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना.- (1) नियतकालिक पत्रिका प्रारंभ करने का आशय रखने वाला प्रकाशक, प्रेस महारजिस्ट्रार को प्रेस सेवा पोर्टल पर ऐसे दस्तावेजों के साथ जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं और भारत कोष को उसमें विनिर्दिष्ट संदाय की रीतियों में से किन्हीं के द्वारा एक हजार रुपए की आवेदन फीस के साथ प्रेस सेवा पोर्टल पर उपलब्ध प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा जारी शीर्षक आवंटन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया गया आवेदन, जो प्रेस महारजिस्ट्रार को संबोधित किया गया है, ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को पृष्ठांकित किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है और प्रेस सेवा पोर्टल से आनलाइन भेजा जाएगा ।

(3) आवेदन को सफलतापूर्वक अपलोड किए जाने पर प्रेस सेवा पोर्टल पर दस अंकों की विशिष्ट अक्षरांकीय आवेदक संदर्भ संख्या के साथ एक पावती जनित होगी और प्रकाशक और प्रेस महारजिस्ट्रार भविष्य में सभी पत्राचारों और संदर्भों के लिए आवेदक संदर्भ संख्या का उपयोग करेगा ।

(4) जहां प्रकाशक, उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन में कोई सुधार करने या किन्हीं लोप या त्रुटियों को हटाने का आशय रखता है तो वह ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के पांच दिवस के भीतर ऐसा कर सकेगा ।

(5) यदि प्रेस महारजिस्ट्रार, आवेदन का सत्यापन करने पर कोई कमियां पाता है, तो वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर और उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय के भीतर कमियों को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रकाशक को आनलाइन संसूचना देगा ।

(6) प्रकाशक, उपनियम (5) में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने से तीस दिवस से अनधिक की अवधि के भीतर, प्रेस सेवा पोर्टल पर सभी अध्यापेक्षित ब्यौरे और विशिष्टियां प्रस्तुत करके सभी कमियों को दूर करेगा और प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा तीस दिवस की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहने पर आवेदन खारिज किए जाने के लिए दायी होगा ।

(7) प्रेस महारजिस्ट्रार को आवेदन का सत्यापन करने के पश्चात् और प्रेस सेवा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त टिप्पणियां, यदि कोई हो, और शीर्षक की ग्राह्यता के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) कमियां दूर कर दी गई हैं, प्रकाशक को प्रेस सेवा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप विधान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा;

(ख) आवेदन में कमियां बनी हुई है या आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया है, प्रकाशक को यह कारण बताते हुए कि रजिस्ट्रीकरण क्यों प्रदान नहीं किया जाए, आनलाइन संसूचना जारी करेगा और प्रकाशक को प्रेस सेवा पोर्टल पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय देगा ।

(8) प्रेस महारजिस्ट्रार, उपनियम (7) के खंड (ख) के अधीन प्रकाशक के लिखित प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात्, या तो नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा या प्रदान करने के इन्कार कर सकेगा:

परंतु जहां प्रेस महारजिस्ट्रार यह विनिश्चय करता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, वह उसके आधार और कारणों को वर्णित करते हुए आख्यापक आदेश पारित करेगा और प्रकाशक को प्रेस सेवा पोर्टल पर संसूचना देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियों का पुनरीक्षण.- (1) जहां प्रकाशक को नियम 5 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियों का पुनरीक्षण अपेक्षित है, ऐसा प्रकाशक, प्रेस महारजिस्ट्रार को प्रेस सेवा पोर्टल पर ऐसे दस्तावेजों के साथ जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं और भारत कोष को उसमें विनिर्दिष्ट संदाय की रीतियों में से किन्हीं के द्वारा एक हजार रुपए की आवेदन फीस के साथ आवेदन कर सकेगा ।

(2) विशिष्टियां, जिनके लिए प्रमाणपत्र के पुनरीक्षण के लिए प्रकाशक द्वारा कोई आवेदन किया जा सकेगा, में निम्नलिखित सम्मिलित होंगी:-

(क) नियतकालिक पत्रिका की भाषा ;

(ख) नियतकालिक पत्रिका का नाम ;

(ग) नियतकालिक पत्रिका का संपादक ;

(घ) नियतकालिक पत्रिका का मुद्रण प्रेस;

(ङ) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के भीतर नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन का स्थान ;

(च) नियतकालिक पत्रिका की अवधि ।

(3) यदि उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के सत्यापन पर प्रेस महारजिस्ट्रार यह पाता है कि उपनियम (2) के खंड (ङ) के अधीन प्रकाशन के स्थान में परिवर्तन के कारण विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन है तो वह आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन की कालावधि के भीतर उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियां अभिप्राप्त करेगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर नया प्रकाशन स्थान अवस्थित है और आवेदन की सभी विशिष्टियों के सही होने का समाधान हो जाने पर नियतकालिक पत्रिका के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियां अभिप्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवस के भीतर पुनरीक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक प्रति पृष्ठांकित करेगा ।

(4) यदि नियतकालिक पत्रिका का स्वामी, जिसे नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रकाशक को बदलने का आशय रखता है, तो नया प्रकाशक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का संशोधन करने के लिए आवेदन करेगा और नियम 5 के सभी उपबंध लागू होंगे ।

7. नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व का अंतरण – (1) जब नियतकालिक पत्रिका का स्वामी जिसको नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है उस नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को अंतरित करने का आशय रखता है तो ऐसा व्यक्ति या इकाई अंतरिती होने के नाते नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व में परिवर्तन करने के लिए प्रेस महारजिस्ट्रार को प्रेस सेवा पोर्टल पर, उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आवेदन करके स्वामित्व में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा और भारत कोष में विनिर्दिष्ट संदाय के किसी भी ढंग से उसमें एक हजार रुपए की आवेदन फीस संदत्त की जाएगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन को विशिष्ट प्राधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अंतरिती का कारबार का प्रधान स्थान स्थित है, को अंतरिती द्वारा भी पृष्ठांकित किया जाएगा और प्रेस सेवा पोर्टल से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आनलाईन भेजा जाएगा।

(3) प्रेस महारजिस्ट्रार, आवेदन का सत्यापन करेगा और नए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर टिप्पणियां अभिप्राप्त करेगा और आवेदन के सही होने का समाधान हो जाने पर नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व में परिवर्तन की अनुज्ञा अनुदत्त करेगा ।

(4) यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियों पर विचार करने और अन्य कारकों को गणना में लेने के पश्चात् प्रेस महारजिस्ट्रार का यह मत हो कि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए तो वह कारणों को दर्शित करते हुए स्वामी से आनलाईन संपर्क करेगा कि स्वामित्व में ऐसे परिवर्तन को अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा और स्वामी को उसके संबंध में लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दस दिन का समय प्रदान करेगा ।

(5) प्रेस महारजिस्ट्रार स्वामी के लिखित उत्तर पर विचार करने के पश्चात् या तो स्वामित्व में परिवर्तन को अनुज्ञात करेगा और प्रेस सेवा पोर्टल पर परिवर्तन की लिखित अनुज्ञा जारी करेगा या स्वामित्व में परिवर्तन की अनुज्ञा अनुदत्त करने से इंकार करेगा :

परंतु जब प्रेस महारजिस्ट्रार यह विनिश्चय करता है कि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुज्ञा अनुदत्त नहीं करनी चाहिए तो वह इसके लिए आधारों को और कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सकारण आदेश पारित करेगा तथा नियतकालिक पत्रिका के स्वामी को उससे संसूचित करेगा ।

(6) जब अंतरण में आवेदन केवल नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए ही है तो प्रेस महारजिस्ट्रार पुनरीक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु जब स्वामित्व में परिवर्तन नियतकालिक पत्रिका में परिवर्तन में कोई अन्य विशिष्टियां सम्मिलित है, तो, यथास्थिति, प्रकाशक या नया प्रकाशक उप नियम (3) के अधीन अनुदत्त स्वामित्व परिवर्तन की अनुज्ञा की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर नियम 5 में उपबंधित रीति में रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आवेदन करेगा ।

(7) जब नियतकालिक पत्रिका का स्वामी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और कंपनी के शेयर धारण पैटर्न में इन नियमों के अधीन नियतकालिक पत्रिका का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के समय शेयरधृति पैटर्न में कोई परिवर्तन होता है तो कंपनी में प्राधिकृत व्यक्ति प्रेस सेवा पोर्टल पर किए गए परिवर्तनों से नए शेयरधारकों के नाम, पता और अन्य विशिष्टियों के साथ ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो प्रेस सेवा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए गए हों, देते हुए प्रेस महारजिस्ट्रार को संसूचित करेगा ।

8. किसी नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन को जारी न रखना – जब किसी नियतकालिक पत्रिका का स्वामी जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन को जारी न रखने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसे जारी न रखने के छः मास के भीतर उसकी संसूचना प्रेस महारजिस्ट्रार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेस सेवा पोर्टल पर देगा ।

9. वार्षिक विवरण – (1) कोई प्रकाशक, जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की बाबत किसी कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक प्रेस सेवा पोर्टल में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों और दस्तावेजों को अंतर्विष्ट करते हुए एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(2) जब प्रकाशक उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण उपनियम (1) में वर्णित समय के भीतर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह प्रेस महारजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसी विस्तारित अवधि जो विलंब की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,प्रेस महारजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, किंतु ऐसा विस्तार से कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर से परे अनुदत्त नही किया जाएगा ।

10. नियतकालिक पत्रिका का परिदान – (1) प्रकाशक किसी समाचार पत्र के प्रकाशन से अड़तालीस घंटे के भीतर समाचार पत्र के इलैक्ट्रानिकी संस्करण को प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करेगा ।

(2) प्रकाशक किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समाचार पत्र की भौतिक प्रति को राज्य में या संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है, अवस्थित पत्र सूचना कार्यालय को पूर्ववर्ती मास, जिसके दौरान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, के सभी दिनों के लिए प्रत्येक मास के पांचवे दिन तक परिदत्त करेगा :

परंतु प्रकाशक पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय में समाचार पत्र की प्रति का बार-बार अधिक अंतरालों पर परिदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जहां पत्र सूचना कार्यालय का कोई कार्यालय नहीं है, प्रेस महारजिस्ट्रार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अधिकारी को प्रकाशक से समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में प्रकाशित समाचारपत्रों को नई दिल्ली में प्रेस महारजिस्ट्रार के कार्यालय में परिदत्त किया जाएगा ।

(4) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में प्रकाशक समाचार पत्र की भौतिक प्रति को राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार प्राधिकृत राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे कार्यालय में पूर्ववर्ती मास, जिसके दौरान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, के सभी दिनों के लिए प्रत्येक मास के पांचवे दिन तक परिदत्त करेगा :

परंतु प्रकाशक राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कार्यालय में समाचार पत्र की प्रति का अधिक बार-बार अंतरालों पर परिदान कर सकेगा ।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) की अनुपालना पर यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा कि क्या समाचार पत्र का सतत रूप से प्रकाशन किया जा रहा है ।

11. प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिका के परिचालन आंकड़ों का सत्यापन – (1) प्रेस महारजिस्ट्रार किसी नियतकालिक पत्रिका के परिचालन आंकड़ों का इस नियम के अधीन अधिकथित रीति में नियतकालिक पत्रिकाओं के निम्नलिखित वर्गों और श्रेणियों के संबंध में सत्यापन कर सकेगा :-

(क) दैनिक समाचार पत्र जिसका प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार प्रतियां या उससे अधिक का परिचालन है, जैसा कि ऐसे समाचापत्र द्वारा दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरण में रिपोर्ट किया गया है और जो केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय संचार ब्यूरो के साथ पैनलबद्ध है ;

(ख) दैनिक समाचार पत्र जिसका प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार प्रतियां या उससे अधिक का परिचालन है, जैसा कि ऐसे समाचापत्र द्वारा दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरण में रिपोर्ट किया गया है और जो केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय संचार ब्यूरो के साथ पैनलबद्ध होने का आशय रखता है ; और

(ग) कोई अन्य नियतकालिक पत्रिका, जो प्रेस महारजिस्ट्रार के मत में और उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए अभिलिखित कारणों से उसके द्वारा उस नियतकालिक पत्रिका के संबंध में प्राप्त किसी सूचना, निर्देश या शिकायत को ध्यान में रखते हुए ऐसा सत्यापन अपेक्षित है ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियतकालिक पत्रिका के परिचालन के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रेस महारजिस्ट्रार या उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नवीनतम वार्षिक विवरण में प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रेस सेवा पोर्टल में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार परिचालन आंकड़ों का अवधारण करने के लिए डेस्क संपरीक्षा कर सकेगा :

परंतु प्रेस महारजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी डेस्क संपरीक्षा करने के लिए इलैक्ट्रानिकी ढंग से ऐसी सूचना या दस्तावेजों की मांग कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और प्रकाशन ऐसी सूचना या दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिकी रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि डेस्क संपरीक्षा पहचान विहीन रीति में की जाएगी, जहां प्रकाशक और प्रेस महारजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी के बीच डेस्क संपरीक्षा करने के लिए कोई भौतिक इंटरफेस नहीं है।

स्पष्टीकरण – उपनियम (2) के अधीन डेस्क संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या उससे तुरंत पूर्ववर्ष, इनमें से जो भी नवीनतम हो, प्रस्तुत नियतकालिक पत्रिका का वार्षिक विवरण, नवीनतम वार्षिक विवरण होगा।

(3) प्रेस महारजिस्ट्रार किसी नियतकालिक पत्रिका के परिचालन का सत्यापन प्रकाशक और मुद्रण प्रेस के कारबार परिसरों में दस्तावेजों और अन्य सूचना तथा अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण करने के माध्यम से केवल निम्नलिखित स्थितियों में कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) जब प्रकाशक धारा 12 के अधीन अपेक्षित वार्षिक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं करता है ;

(ख) जब उपनियम (2) के अधीन की गई डेस्क संपरीक्षा आपवादिक परिस्थितियों के कारण भौतिक सत्यापन की सिफारिश करती है और प्रेस महारजिस्ट्रार ऐसी सिफारिशों से सहमत है ;

(ग) जब प्रेस महारजिस्ट्रार के मत में और कारणों को लेखबद्ध करते हुए इस नियतकालिक पत्रिका के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना, निर्देश या शिकायत को ध्यान में रखते हुए ऐसा सत्यापन आवश्यक है।

[फा. सं.एम-25013/1/2024-एमयूसी-I]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

G.S.R. 151(E).—Whereas, the Draft Press and Registration of Periodicals Rules, 2024was published *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting number S.O. 73(E), dated the 5^{th} January, 2024 inviting comments /suggestions from stakeholders and general public on these draft Rules, proposed to be issued under the powers conferred under section 19 of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023) before expiry of thirty days from the publication of the said notification;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 5^{th} January, 2024;

And whereas, the comments and suggestions received within the said period from the public and stakeholders in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government**;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 19 of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Press and Registration of Periodicals Rules, 2024.

(2)They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023);

(b) "Bharat Kosh" means the online service window of the Government of India to deposit any fees or fine or other money into the Government Account;

(c) "Central Bureau of Communication" means the attached office of the Central Government for dissemination of information on Government policies and programmes through advertising and outreach activities using various vehicles of communication including, audio-visual, print, electronic, digital, exhibitions and outdoor activities;

(d) "entity" means an entity referred to in section 4 of the Act;

(e) "Financial year" means the period beginning from the 1^{st} day of April and ending on the 31^{st} day of March every year;

(f) "National Single Window System" means the digital platform of the Central Government (https://www.nsws.gov.in) to guide persons in identifying and applying for various approvals, permissions and registrations;

(g) "Press Information Bureau" means the attached office of the Central Government to disseminate information to print, electronic and social media on Government policies, programmes, initiatives and achievements, through

various interventions and activities including press releases, press notes, feature articles, backgrounders, press briefings, interviews, press conferences and press tours;

(h) "Press Sewa Portal" means the online portal of the Press Registrar General for receiving various applications, intimations, and such other documents, including the following, namely: -

(i) intimation by printer of a periodical;

(ii) registration of facsimile edition of a foreign periodical;

(iii) application by a publisher for obtaining a certificate of registration of a periodical;

(iv) application for revision of certificate of registration;

(v) application for transfer of ownership of certificate of registration;

(vi) furnishing annual statement by the publisher of a periodical;

(vii) guidelines for title allotment;

(viii) procedure for desk audit for verification of circulation of a periodical.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Intimation by a printer.- (1)A printer of a periodical shall, within thirty days of starting a printing press of a periodical, send an intimation on the Press Sewa Portal along with the particulars and documents specified therein, to the Press Registrar General and the specified authority within whose jurisdiction the printing press is situated.

(2) Where, after sending the intimation under sub-rule (1), any changes take place in the particulars mentioned in the intimation, the printer shall inform the Press Registrar General and the specified authority of the changes of the particulars.

(3) Where the change in particulars involves change in location of the printing press falling under the local jurisdiction of another specified authority, the printer shall send a fresh intimation on the Press Sewa Portal to the Press Registrar General and the new specified authority, and also inform the original specified authority.

4. Registration of facsimile edition of a foreign periodical. - (1) Any entity which intends to publish a facsimile edition of a foreign periodical in India shall apply on the National Single Window System for obtaining approval from the Central Government for such publication, along with all particulars, documents and fee specified therein, in accordance with the guidelines available on that system.

(2) The Central Government shall, after seeking such additional information, as it deems necessary, grant approval to the entity for publication of the facsimile edition, subject to such terms and conditions as the Central Government may deem fit and communicate the same to the entity on the National Single Window System.

(3) Where the Central Government is of the opinion that approval cannot be granted, it shall by a written order convey its decision, along with reasons for refusal, and communicate the same to the entity on the National Single Window System.

(4) The entity shall, within fifteen days of grant of approval under sub-rule (2), make an application to the Press Registrar General on the Press Sewa Portal for the grant of certificate of registration for publication of the facsimile edition of the foreign periodical in India, along with such documents as may be specified on the Press Sewa Portal, and a fee of rupees ten thousand payable to Bharat Kosh through any mode of payment specified therein.

(5) The Press Registrar General shall verify the application, and after satisfying itself of the correctness of the application and of the additional information, if any, obtained from the entity and taking into consideration the comments, if any, of the Central Government, issue a certificate of registration to the entity for the publication in India of facsimile edition of the foreign periodical.

(6) The entity shall commence publication of the facsimile edition in India only after it is granted a certificate of registration under sub-rule (5) and if the entity has commenced publication of facsimile edition before grant of certificate, the Press Registrar General may refuse to grant certificate of registration to such entity and inform the Central Government of such publication.

(7) The Central Government may on its own or based on information received from the Press Registrar General or any other authority regarding publication of the facsimile edition in India before the grant of certificate of registration under sub-rule (5), suspend or cancel the approval granted by it to such entity under sub-rule (2).

5. Grant of certificate of registration of a periodical. - (1) A publisher intending to start a periodical shall make an online application to the Press Registrar General on the Press Sewa Portal along with such documents as may be specified therein and a fee of rupees one thousand payable to Bharat Kosh through any mode of payment specified therein, while ensuring adherence to the guidelines on title allotment issued by the Press Registrar General, available on the Press Sewa Portal.

(2) The application under sub-rule (1) which is addressed to the Press Registrar General shall also be endorsed to the specified authority within whose local jurisdiction the periodical is proposed to be published and sent online from the Press Sewa Portal.

(3) Upon successful uploading of the application, the Press Sewa Portal shall generate an acknowledgement along with a unique ten-digit alphanumeric Applicant Reference Number, and the publisher and the Press Registrar General shall use the Applicant Reference Number for all future correspondences and references.

(4) Where the publisher intends to make any corrections or remove any omissions or error in the application furnished under sub-rule (1), he may do so within five days of furnishing such application.

(5) If on verification of the application, the Press Registrar General finds any deficiencies, he shall, within seven working days of receipt of the application, and the further time specified under sub-rule (4), issue an online communication to the publisher specifying the deficiencies.

(6) The publisher shall, within a period not exceeding thirty days of receiving the communication referred to in sub-rule (5), remove all deficiencies by submitting all requisite details and particulars on the Press Sewa Portal and failure to do so within the specified period of thirty days shall render the application liable to be rejected by the Press Registrar General.

(7) The Press Registrar General shall, after verifying the application and taking into consideration comments, if any, received from the specified authority on the Press Sewa Portal and the guidelines regarding admissibility of the title, is satisfied that -

(a) the deficiency has been removed, issue a certificate of registration to the publisher in the format specified in the Press Sewa Portal, and endorse a copy thereof to the specified authority;

(b) the application remains deficient or the deficiencies have not been removed by the publisher within the specified time, issue an online communication to the publisher providing the reasons as to why registration may not be granted and afford ten days' time to the publisher to submit a reply thereto on the Press Sewa Portal.

(8) The Press Registrar General may, after taking into consideration the written reply of the publisher under clause (b) of sub-rule (7), either grant or refuse to grant the certificate of registration of the periodical:

Provided that where the Press Registrar General decides that registration shall be not granted, he shall pass a speaking order specifying the grounds and reasons for the same and communicate it to the publisher on the Press Sewa Portal.

6. Revision of particulars of certificate of registration. - (1) If any revision in the particulars of the certificate of registration granted to a publisher under Rule 5 is required, such publisher may make an application to the Press Registrar General on the Press Sewa Portal, along with documents specified therein and a fee of rupees one thousand payable to Bharat Kosh through any mode of payment specified therein.

(2) The particulars for which an application for revision of the certificate may be made by the publisher may include: -

(a) the language of the periodical;

(b) the title of the periodical;

(c) the editor of the periodical;

(d) the printing press of the periodical;

(e) the place of publication of the periodical within the State or Union Territory;

(f) the periodicity of the periodical.

(3) If, on the verification of the application made under sub-rule (1), the Press Registrar General finds that there is change in the specified authority due to change in the place of publication under clause (e) of sub-rule (2), he shall, within a period of sixty days from the date of receipt of the application, obtain comments of the specified authority under whose jurisdiction the new place of publication is located, and on being satisfied of the correctness of all particulars in the application, issue a revised certificate of registration in respect of the periodical preferably within fifteen working days of obtaining comments of the specified authority, and endorse a copy to the specified authority.

(4) If the owner of a periodical to whom certificate of registration is granted under rule 5 intends to change the publisher, the new publisher shall make an application for a revised certificate of registration and all the provisions of rule 5 shall apply.

7. Transfer of ownership of periodical.-(1)Where the owner of a periodical in respect of which certificate of registration has been granted under rule 5 intends to transfer the ownership of that periodical to any other person or entity, such person or entity being the transferee, may apply for change of ownership of the periodical by making an application to the Press Registrar General on the Press Sewa Portal along with the documents specified therein and a fee of rupees one thousand payable to Bharat Kosh through any mode of payment specified therein.

(2) The application made under sub-rule (1) shall also be endorsed by the transferee to the specified authority within whose local jurisdiction the principal place of business of the transferee is situated, and sent online to the specified authority from the Press Sewa Portal.

(3) The Press Registrar General shall verify the application and obtain comments of the new specified authority within a period of sixty days from the date of receipt of application and after being satisfied of the correctness of the application, grant permission for change of ownership of the periodical.

(4) If after taking into consideration the comments of the specified authority and other factors, the Press Registrar General is of the opinion that permission for change of ownership may not be granted, he shall issue an online communication to the owner providing reasons as to why such change of ownership may not be granted and afford ten days' time to the owner to submit a written reply thereto.

(5) The Press Registrar General may, after taking into consideration the written reply of the owner, either permit the change in ownership and issue a written permission for the change on the Press Sewa Portal, or refuse to grant permission for change in ownership:

Provided that where the Press Registrar General decides that permission for change of ownership may be not granted, he shall pass a speaking order specifying the grounds and reasons for the same and communicate it to the owner of the periodical.

(6) Where the application for transfer is limited only to the change in ownership of the periodical, the Press Registrar shall issue a revised certificate of registration:

Provided that where the change in ownership involves change in any other particulars of the periodical, the publisher or the new publisher, as the case may be, shall make an application for grant of registration in the manner provided in rule 5, within thirty days of the receipt of the permission for change of ownership granted under sub-rule (3).

(7) Where the owner of a periodical is a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the shareholding pattern of the company undergoes any change from the shareholding pattern at the time of grant of certificate of registration of the periodical under these rules, the authorised person in the company shall intimate the Press Registrar General on the Press Sewa Portal of the changes made, giving full details of the names, address and other particulars of the new shareholders, along with such other documents specified in the Press Sewa Portal.

8. Discontinuation of a periodical.-Where an owner of a periodical, who has been granted a certificate of registration under these rules decides to discontinue the publication of the periodical, he shall, within six months of such discontinuation, send an online intimation to the Press Registrar General and the specified authority, on the Press Sewa Portal.

9. Annual statement. -(1) A publisher who has been granted a certificate of registration under these rules shall furnish an annual statement by the 31st May of a calendar year, in respect of the preceding financial year, on the Press Sewa Portal, containing the particulars and documents specified on that Portal.

(2) Where the publisher, due to circumstances beyond his control, is unable to furnish the annual statement within the time mentioned in sub-rule (1), he may, with the prior approval of the Press Registrar General, furnish the annual statement within such extended period as the Press Registrar General may permit, having regard to the circumstances for such delay but no such extension shall be granted beyond 31st December of the calendar year.

10. Delivery of periodicals. - (1) The publisher shall, within forty-eight hours of publication of a newspaper, upload the electronic version of the newspaper on the Press Sewa Portal.

(2) The publisher in a State or Union Territory shall deliver the physical copy of the newspaper to the office of the Press Information Bureau located in that State or Union Territory in which the paper is being published, by the fifth day of every month for the all the days for which the newspaper is published during the preceding month:

Provided that the publisher may deliver a copy of the newspaper to the office of the Press Information Bureau at a more frequent interval.

Provided further that in a State or Union Territory where there is no office of Press Information Bureau, the Press Registrar General shall authorise an officer under the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting in that State or Union Territory for receiving the newspaper from the publisher.

(3) The newspapers published in the National Capital Territory of Delhi Region will be delivered at the office of the Press Registrar General in New Delhi.

(4) The publisher in a State or Union Territory shall deliver the physical copy of the newspaper to such office of the State Government or the Union Territory administration so authorised for the purpose by that State Government or the Union Territory administration, by the fifth day of every month for all the days for which the newspaper is published during the preceding month:

Provided that the publisher may deliver a copy of the newspaper to the office so authorised by the State Government or Union Territory administration, at a more frequent interval.

(5) Compliance of sub-rules (1) to (4) shall be taken into consideration for the purpose of ascertaining whether the newspaper is being published continuously.

11. Verification of circulation figure of a periodical by the Press Registrar General. -(1)The Press Registrar General may verify the circulation figure of a periodical, in the manner laid down under this rule, in respect of the following classes and category of periodicals: -

(a) a daily newspaper, having an average circulation of twenty-five thousand copies or more each day, as reported in the annual statement furnished by such newspaper in the preceding two financial years, and is empanelled with the Central Bureau of Communication for the purpose of obtaining advertisements of the Central Government;

(b) a daily newspaper, having an average circulation of twenty-five thousand copies or more each day, as reported in the annual statement furnished by such newspaper in the preceding two financial years, and intends to be empanelled with the Central Bureau of Communication for the purpose of obtaining advertisements of the Central Government; and

(c) any other periodical which, in the opinion of the Press Registrar General, and for reasons to be recorded by him in writing, requires such verification, having regard to any information, reference or complaint received by him in respect of that periodical.

(2) For the purposes of verifying the circulation of a periodical referred to in sub-rule (1), the Press Registrar General or any officer of the Central Government so authorised by him, may undertake a desk audit of the information furnished by the publisher in the latest annual statement in accordance with procedure laid down in the Press Sewa Portal, and determine the circulation figure:

Provided that the Press Registrar General or the officer so authorised, may, for undertaking the desk audit, seek such information or documents as may be considered necessary, through electronic mode and the publisher shall provide such information or documents electronically:

Provided further that the desk audit shall be undertaken in a faceless manner where there is no physical interface between the publisher and the Press Registrar General or the officer authorised for undertaking the desk audit.

***Explanation*:** For the purpose of undertaking desk audit under sub-rule (2), the latest annual statement shall be the annual statement of the periodical furnished for the immediately preceding financial year or the year immediately before that, whichever is latest.

(3) The Press Registrar General may undertake verification of the circulation of a periodical by way of physical inspection of the documents and other information and records at the business premises of the publisher and the printing press only under the following situations, namely:

(a) where the publisher is not regularly furnishing the annual statement as required under section 12;

(b) where the desk audit undertaken under sub-rule (2) recommends such physical verification due to exceptional circumstances, and the Press Registrar General is satisfied with such recommendations;

(c) where, in the opinion of the Press Registrar General, and for reasons to be recorded in writing, such verification is necessary, having regard to any information, reference or complaint received by him in respect of that periodical.

[F. No. M-25013/1/2024-MUC-I]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.01 20:58:32 +05'30'